अनवानी ओमप्रकाश v/s तहसीलदार
प्र०स. 07/2024

(3)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2025	पत्रावली पेशी में ली गई। अधिवक्ता प्रार्थी श्री ओमप्रकाश शर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 CPC पेश कर याचित किया कि पूर्व प्रकरण सं. 34/2014 अनवानी दर्शन सिंह बनाम धर्मवीर आदि में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 01-02-2016 द्वारा प्रार्थी की माता के नाम दर्ज नहरी भूमि में से चक 4 STG प.न. 99/270(24) कि.न. 3/2.013 कि.न. 8/2.013 व 13/0010 रकबा गै.मु. रास्ता दर्ज करने के आदेश जारी किये गये तथा उक्त आदेश की पालना में रास्ता (गै.मु.) का अमलदरामद भी हो गया। उक्त प्रकरण में प्रार्थी की माता पार्वती देवी पत्नी रामचन्द्र बतौर अप्रार्थी सं. 2 पक्षकार थी। मान. न्यायालय सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ के उक्त निर्णय दिनांक 01-02-2016 से व्यथित होकर पार्वती देवी ने उक्त निर्णय की अपील सं. 2016/00249 (269/2016) 225 RT Act में मान. राजस्व अपील अधिकारी हनु० के समक्ष दायर की, जिसमें उभयपक्षों की सुनवाई उपरांत मान. RAA हनुमानगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 29.08.2019 द्वारा सहायक कलक्टर हनुमानगढ़ द्वारा पारीत निर्णय दिनांक 01.02.2016 को निरस्त करते हुये प्रकरण पुनः —	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	सुनवाई व विधि सम्मत निर्णय पारीत किये जाने हेतु इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। उक्त रिमाण्ड प्रकरण पुनः इस न्यायालय में सुनवाई हेतु प्राप्त हुआ तथा पत्रावली में संलग्न प्रमाणित आदेशिका अनुसार दिनांक 9.2.2021 प्रशासन गांव के संग अभियान मैनावाली में वकील प्रार्थी द्वारा जेरकार पत्रावली जो मान. RAA हनुमानगढ़ से Remand हुई थी को विड्रा में खारिज करवा लिया गया। चूंकि इस न्यायालय द्वारा पारीत निर्णय दिनांक 01.02.2016 जरिये अपीलाधीन आदेश 29.08.2019 द्वारा निरस्त किया जा चुका है तथा मूल Remand पत्रावली वकील प्रार्थी द्वारा विड्रा करवाई जा चुकी है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 CPC स्वीकार किया जाना उचित है। तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि चक 4 STG खाता सं. 182/84 में खातेदार ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र के नाम दर्ज आराजी (गै.मु.) रास्ता में आदेश दिनांक 01-02-2016 से पूर्व की स्थिति बहाल की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में मुमकीन प्रविष्टि की जावे। आदेश सुनाया गया। [signature] सहायक कलक्टर ...अधिकारी